न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 57/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. श्रीमती कंकुदेवी पत्नि बद्रीलाल सुखवाल (ब्राहम्ण) निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीया

बनाम

1. शांतिलाल पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण
2. जगदीश पिता जगनाथ ब्राहम्ण
3. गोरधन पिता जगनाथ ब्राहम्ण
4. गोरधन लाल पिता हरिराम ब्राहम्ण
5. बदामी पुत्री रामलाल ब्राहम्ण
6. धापु पुत्री रामलाल ब्राहम्ण
7. सोहनी पुत्री रामलाल ब्राहम्ण
8. हरि पुत्री रामलाल ब्राहम्ण
9. हेमराज पिता बिहारीलाल ब्राहम्ण
10. बद्रीलाल पिता बिहारीलाल ब्राहम्ण
11. भैरूलाल पिता बिहारीलाल ब्राहम्ण
12. मोहनलाल पिता बिहारीलाल ब्राहम्ण
13. हीरालाल पिता बिहारीलाल ब्राहम्ण
14. शंकरलाल पिता बिहारीलाल ब्राहम्ण

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

15. हीरालाल पिता नवलराम दर्जी
16. मुरली पिता नवलराम दर्जी
17. मधु पुत्री नवलराम दर्जी
18. दुर्गा पुत्री नवलराम दर्जी
19. चिंतामणी पुत्री नवलराम दर्जी
20. तारा पत्नि नवलराम दर्जी

सर्व निवासी कुण्ड चौक, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः– 25/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 6379 रकबा 0.34 हे0, 6380 रकबा 0.03 हे0 6441 रकबा 0.02 हे0 भूमि कुल किता 03 कुल रकबा 0.39 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 694 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

क्रमश....

प्रकरण संख्या :- 5[illegible]/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल03[illegible]0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 6379 रकबा 0.34 हे0, 6380 रकबा 0.03 हे0 6441 रकबा 0.02 हे0 भूमि कुल किता 03 कुल रकबा 0.39 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 200– (दौ सौ रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 200– (दौ सौ रूपये मात्र) संम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)